Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में भारतीय खाद्य निगम आगार के सहायक श्रेणी–प्रथम एवं प्रबन्धक गुण नियन्त्रण 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *24 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये भारतीय खाद्य निगम आगार, भरतपुर के विनोद कुमार कश्यप सहायक श्रेणी–प्रथम (ए.जी.–प्रथम) एवं मुन्नूलाल मौर्य, प्रबन्धक गुण नियन्त्रण को परिवादी से एक लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा भारतीय खाद्य निगम आगार, भरतपुर के 91 हजार कट्टे अनाज मण्डी रूपवास से परिवहन करवाये थे, जमा रसीद देने की एवज में प्रति कट्टे 1 रुपये के हिसाब से कमीशन के रूप में, एक लाख रुपये की रिश्वत राशि मांगकर विनोद कुमार कश्यप सहायक श्रेणी–प्रथम (ए. जी.–प्रथम), भारतीय खाद्य निगम आगार, भरतपुर द्वारा परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार कश्यप पुत्र श्री करण सिंह निवासी धीमर मौहल्ला–बी, नारायण गेट, पुलिस थाना मथुरागेट, भरतपुर हाल सहायक श्रेणी–प्रथम (ए.जी.–प्रथम), भारतीय खाद्य निगम आगार, भरतपुर को परिवादी से **एक लाख रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विनोद कुमार कश्यप द्वारा परिवादी से ली गई रिश्वत में से 20 हजार रुपये मुन्नूलाल मौर्य पुत्र श्री पलटूप्रसाद मौर्य निवासी ग्राम पोस्ट पिपरौली बाजार, पुलिस थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर उ0प्र0 हाल प्रबन्धक गुण नियन्त्रण भारतीय खाद्य निगम आगार, भरतपुर को दिये। जिस पर उक्त मुन्नूलाल मौर्य को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।